FAMIS: बच्चों के लिये वर्जिनिया का स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम

आप दे सकें ऐसे सस्ते मूल्य पर ऐसी सुरक्षा जिसके लिये आपके बच्चे योग्य हैं

1. FAMIS और FAMIS प्लस क्या हैं?

FAMIS बच्चों के लिये वर्जिनिया का स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम है। यह ऐसे बच्चों के लिये गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता प्रदान करता है जिनके पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है।

FAMIS प्लस बच्चों के मेडिकेड के लिये वर्जिनिया का नाम है। **FAMIS प्लस** भी शानदार लाभ प्रदान प्रदान करता है और ऐसे परिवारों के बच्चे इसमें शामिल होते हैं जो कम आय वाले हैं या जिनकी कोई भी आय नहीं है, भले ही वे बच्चे स्वास्थ्य बीमा द्वारा कवर होते हों।

जब आप कवरेज के लिये आवेदन करेंगे, तो आपके बच्चों के लिये **FAMIS** और **FAMIS प्लस** दोनों के लिये विचार किया जायेगा।

2. क्या कवर होता है?

FAMI S और **FAMIS प्लस** में आपके बच्चे निम्नलिखित के लिये कवर होते हैं:

- डॉक्टर की विजिट
- अस्पताल और आपातकालीन देखभाल
- बच्चे और शिशु की स्वास्थ्य सम्बन्धी जाँचें
- टीके
- नुस्खे यानि प्रिस्क्रिपशन्स
- परीक्षण और एक्स-रे
- दृष्टि और दाँतों से सम्बन्धित देखभाल
- मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी देखभाल
- तथा और बहुत कुछ....

FAMI S या **FAMIS प्लस** के साथ आपके परिवार को कोई भी मासिक या वार्षिक खर्चे अदा नहीं करना पड़ते। केवल **FAMI S** में नामांकित किये जाने वाले बच्चों के लिये ही, कुछ मेडिकल देखभाल के लिये थोड़े से सह-भुगतान ($2 या $5) हैं।

FAMIS

Covering Children With Affordable Health Insurance

3. इनके लिये कौन योग्य है?

FAMI S या **FAMIS प्लस** के लिये निम्नलिखित बच्चे योग्य हो सकते हैं:

- अगर वे वर्जिनिया में रहते हैं
- अगर उनकी आयु 19 वर्ष से कम है
- अगर वे अमेरिका के नागरिक हैं (कुछ गैर-नागरिक भी इनके योग्य हैं)। माता/पिता की नागरिकता नहीं मानी जाती।
- अगर वे आय के कुछ निश्चित मापदंड पूरा करते हैं (नीचे देखें)

FAMIS सम्बन्धी आय सीमा (सकल)*

परिवार का आकार	मासिक	वार्षिक
1	$2,201	$26,404
2	$2,976	$35,711
3	$3,752	$45,018
4	$4,528	$54,325
5	$5,303	$63,632

*जनवरी 13, 2021 से प्रभावी। आय की सीमायें वार्षिक रूप से समायोजित की जाती हैं। अतिरिक्त मार्गनिर्देशों के लिये फोन करें।

नामांकित बच्चों वाले परिवारों को सार्वजनिक धन राशि से सहायता प्राप्त लाभार्थी नहीं बताया जायेगा। **FAMI S** या **FAMIS प्लस** प्राप्त करने से परिवारों की अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने की योग्यता पर असर नहीं पड़ेगा।

4. मैं किस तरह आवेदन करूँ?

FAMI S और **FAMIS प्लस** के लिये आवेदन करना आसान है। बस टोल-फ्री 1-855-242-8282 पर फोन करें। दुभाषिये उपलब्ध हैं। हमारे प्रतिनिधि आपका ऐसे किसी व्यक्ति के साथ सम्पर्क करायेंगे जो आपकी अपनी भाषा बोलता हो।
अथवा, ऑनलाइन आवेदन करने के लिये commonhelp.virginia.gov पर लॉग-ऑन करें।

आप सामाजिक सेवाओं के अपने स्थानीय विभाग के यहाँ पर भी आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेजों की सूची के लिये, www.coverva.org पर जायें और आवेदन वाले पेज पर क्लिक करें। अगर बच्चे अमेरिकी नागरिक नहीं हैं, तो आपसे बच्चों की आप्रवासन (इमीग्रेशन) स्थिति का प्रमाण देने के लिये कहा जायेगा। अगर आपका बच्चा अमेरिकी नागरिक है, तो आपसे अमेरिकी नागरिकता और पहचान का सबूत भी प्रदान करने के लिये कहा जायेगा। इसे करने का सबसे आसान तरीका आवेदन-पत्रों पर अपने बच्चे के सोशल सिक्युरिटी नम्बर को शामिल करना है। सहायता के लिये FAMIS को फोन करें।